चिकित्सा अभिलेख विभाग एवं प्रशिक्षण केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली

1. अटल बिहार वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बारे में

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसे पहले विलिंगडन अस्पताल के नाम से जाना जाता था, की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष 1932 में अपने कर्मचारियों के लिए की गयी थी। तब इसमें केवल 54 बिस्तर थे। स्वतंत्रता के पश्चात, इसका नियंत्रण नई दिल्ली नगर पालिका समिति को अंतरित कर दिया गया। वर्ष 1954 में इसका नियंत्रण पुन: अंतरित करके स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। यह पूर्णतया भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।

विगत वर्षों में अस्पताल का विकास हुआ है और वर्तमान समय में 30 एकड़ से अधिक भूमि में फैले हुए इस अस्पताल में लगभग 1,447 बिस्तर हैं। यह नई दिल्ली और मध्य दिल्ली की जनता के अलावा, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों और दिल्ली के बाहर के रोगियों की भी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए प्रसूति परिचर्या गृह सहित 71 बिस्तरों का परिचर्या गृह(नर्सिंग होम) है।

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (ABVIMS) की स्थापना की गयी। इस संस्थान में एमबीबीएस के छात्रों के पहले बैच को अगस्त, 2019 में प्रवेश दिया गया। एबीवीआईएमएस में क्लिनिकल विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (एमडी/एमएस) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की स्थापना के पहले से ही चल रहे थे। कुछ समय के बाद, वर्ष 2008 में प्री और पैरा क्लिनिकल विषयों में (एमडी/एमएस) पाठ्यक्रम शुरू किये गये और (एमडी/एमएस) सीटों की संख्या को बढ़ाया गया।

इस अस्पताल में सभी प्रमुख विशेषज्ञताओं के लिए आपातकालीन सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होती हैं। अन्य विशेषज्ञताओं के लिए सुविधाएं भी आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं। सभी सहायक सेवाएं जैसे प्रयोगशाला, एक्स-रे, सीटी-स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस चौबीसों घंटे उपलब्ध होती हैं। गंभीर हृदय रोगियों और गैर-हृदय रोगियों के लिए अस्पताल में एक कोरोनरी केयर यूनिट और एक इंटेंसिव केयर यूनिट मौजूद है। अस्पताल ने आपदा क्रियान्वयन योजना बना रखी है और हताहतों की संख्या अधिक होने या आपदा के समय आपदा बिस्तरों को प्रयोग में लाया जाता है। अस्पताल में सुदृढ़ अपशिष्ट निपटान प्रणाली के तहत दो इंसीनरेटर, एक माइक्रोवेव मशीन और दो प्लास्टिक श्रेडर मौजूद

हैं। अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विकास और विस्तार के साथ अस्पताल प्रशासन की संख्या भी बढ़कर 3,164 हो गयी है।

वर्ष 2019 में, अस्पताल में लगभग 20,96,713 रोगियों को ओपीडी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की, लगभग 96,342 रोगियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया और आपातकाल में लगभग 3,04,228 रोगियों को उपचार दिया गया। पीत ज्वर के लगभग 4348 टीके लगाये गये और 1214 प्रसव कराए गये। इसी प्रकार, लगभग 34,344 सीटी स्कैन, 1,75,704 एक्स-रे, 1,20,98,547 प्रयोगशाला परीक्षण और लगभग 58,189 अल्ट्रासाउंड किए गए। अस्पताल में पिछले वर्ष के दौरान लगभग 17,930 बड़े और 44,112 छोटे ऑपरेशन किए गए।

2. ऑरगेनोग्राम :

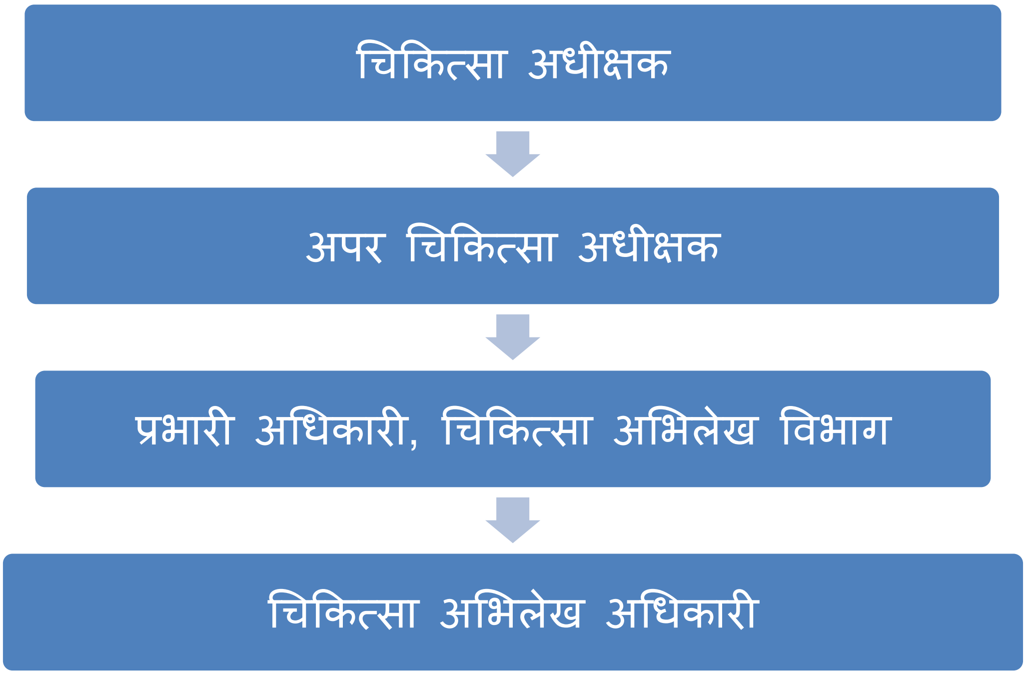

3. चिकित्सा अभिलेख विभाग (एमआरडी) के कार्यों की रूपरेखा:

इस अस्पताल का चिकित्सा अभिलेख विभाग (एमआरडी) डेटा रखता है और रिपोर्ट करता है, अपने प्रभार में आनेवाले चिकित्सा अभिलेखों से संबंधित कानूनी मामले देखता है और अस्पताल प्रशासन द्वारा तय किये गये विभिन्न अन्य क्रियाकलाप करता है। अस्पताल में एमआरटी और एमआरओ के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित स्टाफ और फैकल्टी के साथ एक

सुस्थापित चिकित्सा अभिलेख विभाग(एमआरडी) और प्रशिक्षण केंद्र(टीसी) है। व्याख्यान कक्ष-सह-मिनी सभागार में 70 छात्रों के लिए स्थान है। इस अस्पताल के चिकित्सा अभिलेख विभाग (एमआरडी) ने जनवरी, 2000 से विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोडिंग, इन्डेक्सिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण(आईसीडी)-10 को शत-प्रतिशत अपनाया है, और जन्म और मृत्यु के ऑनलाइन पंजीकरण सहित और चिकित्सा अभिलेख विभाग के रोज़मर्रा के कामकाज और लगभग 18625(अट्ठारह हज़ार छह सौ पच्चीस) से अधिक चिकित्सा-विधिक(मेडिको-लीगल) मामलों का सफल निपटान किया है, और प्रति वर्ष चिकित्सा-विधिक मामलों (एमएलसी) से संबंधित लगभग 1013 कोर्ट के सम्मन का पालन किया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के स्थायी आदेशों के अनुसार, चिकित्सा अभिलेख विभाग(एमआरडी) इनडोर और आउटडोर रिकॉर्ड को तीन(03) वर्ष तक और चिकित्सा-विधिक मामलों(एमएलसी) के रिकॉर्ड को दस(10) वर्ष तक रखता है। डिजिटलाइज़ेशन होने के बाद, अब सभी चिकित्सा अभिलेख अनिश्चित काल तक रखे जाएंगे। जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण प्रतिदिन किया जाता है। आईसीडी के 10वें संस्करण के अनुसार नैदानिक डेटा और रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना एमआरडी का एक अन्य प्रमुख कार्य है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार रुग्णता और मृत्यु संख्या के पूर्ण नैदानिक डेटा के साथ अस्पताल के नैदानिक बुलेटिन को मासिक और वार्षिक, दोनों रूप से तैयार किया जाता है। मृत्यु समीक्षा और चिकित्सा लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नामित अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में चिकित्सा अभिलेख विभाग(एमआरडी) के सचिवालय के साथ महीने में दो बार आयोजित की जाती हैं।

मेडिकल अभिलेखों और चिकित्सा-विधिक मामलों (एमएलसी) से संबंधित सभी सम्मन प्राप्त करने, उन्हें संबंधित अधिकारी को सौंपने और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के लिए उपस्थिति के लिए चिकित्सा अभिलेख विभाग(एमआरडी) अस्पताल के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। चिकित्सा अभिलेख निजी और गोपनीय होते हैं और इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ङ) और (ञ) के तहत केवल स्वयं रोगी को या कानूनी रूप से अधिकृत उसके वारिस या प्रतिनिधि को ही जारी किये जा सकते हैं। रोगी को स्वयं के आईडी प्रूफ या रोगी के साथ संबंध दर्शाने वाले आईडी प्रूफ की अधिप्रमाणित प्रति को कानूनी प्राधिकरण के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने पर ही चिकित्सा दस्तावेज़ों को जारी किया जा सकता है।

नाम, पते आदि में संशोधन केवल चालू वर्ष के लिए किया जा सकता है और यह संशोधन सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। संशोधन के लिए रोगियों के परिजनों/निकटतम संबंधियों को मृतक/रोगी के साथ उनका संबंध दर्शाने वाले उचित आईडी के साथ ही आवेदन करना चाहिए। चिकित्सा-विधिक मामलों (एमएलसी) में यह आवश्यक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सही किये गये विवरण हों। आंतरिक

प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद एक संशोधन पत्र (यदि आवश्यक हो तो रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, नई दिल्ली को) जारी किया जाता है। आईपीडी बीमा सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के लिए आवेदन को, संबंधित बीमा कंपनी के लेटर हेड पर मृतक/रोगी से संबंधित सभी विवरणों का उल्लेख करते हुए, चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को संबोधित किया जाना चाहिये। संबंधित उपचार रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन के मामले में, बीमा कंपनी को एक अधिकारी को उचित प्राधिकरण पत्र और आईडी के साथ अधिकृत करना चाहिए। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं चिकित्सा अभिलेख अधिकारी (एमआरओ), प्रभारी, चिकित्सा अभिलेख विभाग, अपर चिकित्सा अधीक्षक तथा चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के बाद ही पूर्ण मानी जाती हैं।

4. प्रशिक्षण केंद्र के कार्यों की रूपरेखा:

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एमआरडी प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना दिसंबर, 2016 में की गई थी। एमआरटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पहला बैच जनवरी, 2017 से शुरू किया गया था।

5. प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी:

केवल चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन पाठ्यक्रम हर 6 महीने अर्थात जनवरी और जुलाई में चलाया जाता है।

6. प्रशिक्षण केंद्र का संकाय:

प्रशिक्षण केंद्र के संकाय के सदस्य अपने संबंधित क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति हैं और उनका चयन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7. एमआरडी-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए चयन प्रक्रिया:

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। चयन समिति विशुद्ध रूप से पात्रता के मानदंडों और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है। एमआरटी पाठ्यक्रम के विवरणों को केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण केंद्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अनुशासन के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होता

है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अनुशासन का उल्लंघन किये जाने पर पाठ्यक्रम से उसकी भागीदारी समाप्त की जा सकती है।

8. प्रशिक्षण केंद्र के स्टाफ संबंधी संपर्क जानकारी:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	ईमेल आईडी	दूरभाष संख्या
1.	डॉ.(प्रो.) मीनाक्षी भारद्वाज	अपर महानिदेशक, निदेशक व चिकित्सा अधीक्षक	med.sup.rmlh@gmail.com	**011-23404470**
2.	डॉ.(प्रो.) कंवर सेन	अपर महानिदेशक एवं सलाहकार विभागाध्यक्ष (ईएनटी तथा प्रभारी अधिकारी, एमआरडी)	mrd-tc19@rmlh.nic.in drkanwarsen@yahoo.com	011-23404325, 4436
3.	डॉ. शरद पांडे	सह-आचार्य, (न्यूरोसर्जरी) और प्रभारी अधिकारी, एमआरडी के लिंक अधिकारी	drsharad.pandey23@rmlh.nic.in	9454939067
4.	**रिक्त**	चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	mrd-tc19@rmlh.nic.in	011-23404325

9. कोई अन्य जानकारी:

सीबीएचआई प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिसूचना राज्य स्तरीय डीएमई/डीएमएस कार्यालय को शीघ्र ही भेजी जाएगी।

10. हमसे संपर्क करें:

अपर महानिदेशक एवं सलाहकार विभागाध्यक्ष(ईएनटी) तथा प्रभारी अधिकारी, एमआरडी,
चिकित्सा अभिलेख विभाग एवं प्रशिक्षण केंद्र,
पीजीआईएमईआर, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 011-2340 4325
ईमेल आईडी: mrd-tc19@rmlh.nic.in